दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 21 मार्च, 2024

सि.वा. (वाणि.) 681/2023 और अं.आ. 18978/2023, अं.आ. 6116/2024

एचटी मीडिया लिमिटेड और अन्य .... वादीगण

द्वारा : श्री ऋषभ राव, अधिवक्ता

बनाम

हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क और अन्य ..... प्रतिवादीगण

द्वारा : प्र.-1 एकपक्षीय है।

श्री पर्व खरे और सुश्री श्वेता साहू, प्र.-2 के लिए अधिवक्तागण।

श्री वरुण पाठक, श्री श्यामल आनंद और सुश्री प्रसिद्धि अग्रवाल, प्र.-3 के लिए अधिवक्तागण।

श्री सौहार्ड अलंग, प्र.-4 के लिए अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति संजीव नरूला

निर्णय

संजीव नरूला, न्या. (मौखिक):

1. वादीगण, व्यापार चिन्ह "HINDUSTAN", "हिन्दुस्तान", "HINDUSTAN TIMES", "www.hindustantimes.in" और "www.hindustantimes.co.in" के पंजीकृत मालिक, ने वर्तमान वाद दायर किया है, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उनके चिन्हों के उल्लंघन और उन्हें दूसरों को सौंपने से रोकने की मांग की गई

है, जो वादीगण की तरह ही इंटरनेट पर समाचार और सूचना के प्रसार के लिए व्यापार चिन्ह "HINDUSTAN NEWS NETWORK", " " और " ", और डोमेन नाम के लिए "www.hindustannewsnetwork.in", का उपयोग करता है।

<u>वादी का मामला</u>

2. वादी सं. 1 भारत में एक प्रमुख मीडिया हाउस है, जिसका प्रिंट मीडिया, रेडियो, इंटरनेट आदि के व्यवसाय में व्यापक संचालन है। वादी संख्या 1 का कारोबार हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड से आता है, जो उनका पूर्ववर्ती हितधारक है। उनके प्रमुख प्रकाशन – हिंदुस्तान टाइम्स, की स्थापना 1924 में हुई थी और समय के साथ, संपादकीय उत्कृष्टता, नवाचार और अखंडता के साथ एक समाचार पत्र के रूप में खुद को स्थापित किया है। प्रिंट प्रसार के अतिरिक्त, वादी सं. 1 ऑनलाइन समाचार प्रकाशन के लिए "www.hindustantimes.com" और "www.livehindustan.com" वेबसाइट भी चलाता है, जिसमें क्रमशः लगभग 65 मिलियन और 56 मिलियन उपयोगकर्ताओं का कर्षण होता है। वादी सं. 2 वादी सं. 1 की सहायक कंपनी है।

3. वादी अपने समाचार पत्र हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करते हैं। 1930 के दशक से, उनके हिंदी खंड "हिन्दुस्तान चिन्ह के तहत बेचा जाता रहा है, जिसके लगभग 19 संस्करण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार

आदि में प्रसारित होते हैं। "हिन्दुस्तान" समाचार पत्र वादी की वेबसाइट "www.livehindustan.com" पर भी उपलब्ध है। व्यापार चिन्ह "HINDUSTAN" और "हिन्दुस्तान" के अधिकार वादी सं. 1 द्वारा वादी सं. 2 को 31 मार्च, 2016 के समनुदेशन विलेख के तहत सौंपे गए थे।

4. वादी के पास अपने व्यापार चिन्ह "हिन्दुस्तान", "HINDUSTAN", और "HINDUSTAN TIMES", "www.hindustantimes.in" और "www.hindustantimes.co.in", के लिए वर्ग 16, 38, 41 और 42 में कई पंजीकरण हैं, जिसका विवरण वाद के पैराग्राफ संख्या 23 में दिया गया है। युक्ति में मौजूद मूल कलात्मक कार्य "हिन्दुस्तान" प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के तहत संरक्षण के लिए भी योग्य है।

5. वादी द्वारा खुले और व्यापक उपयोग के कारण, उपरोक्त व्यापार चिन्ह विशेष रूप से वादी के समाचार प्रकाशनों से जुड़े हैं। वर्ष 2022-23 में वादी सं. 2 को समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" की बिक्री से 47,6444/- लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसी तरह, वर्ष 2020-21 के लिए "HINDUSTAN TIMES" समाचार पत्र के लिए वादी सं. 1 की बिक्री के आंकड़े 52,810/- लाख रुपए तक थे। दोनों वादियों द्वारा वहन किए गए प्रचार व्यय को वाद के पैराग्राफ सं. 27 में निर्धारित किया गया है।

6. प्रतिवादी सं. 1, हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क, भारतीय पाठकों के लिए हिंदी भाषा में साहित्यिक और कलात्मक कार्यों जैसे समाचार, लेख, कहानियां और उनसे संबंधित तस्वीरों को प्रकाशित करने, संग्रहीत करने, होस्टिंग करने, उपलब्ध कराने और संचारित करने के लिए डोमेन नाम "www.hindustannewsnetwork.in" संचालित करता है। आक्षेपित वेबसाइट पर "

" चिन्ह प्रमुखता से प्रदर्शित है और प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाता है। 'हु इस' पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आक्षेपित वेबसाइट हाल ही में बनाई गई थी और 20 मार्च, 2023 को पंजीकृत की गई थी। प्रतिवादी सं. 1 के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया पहला वीडियो भी 19 मार्च, 2023 का है। हालांकि, प्रतिवादी सं. 1 के सोशल मीडिया पेजों की जाँच से अक्टूबर, 2021 के आसपास "

" के उपयोग का पता चलता है। इससे पहले, प्रतिवादी सं. 1

चिन्ह का उपयोग कर रहा था।

7. प्रतिवादी सं. 1 के आक्षेपित चिह्न और वेबसाइट के उपयोग के बारे में जानने पर, वादी ने 22 अगस्त 2023 को प्रतिवादी सं. 1 को एक परिविरत एवं प्रतिविरत नोटिस दिया, जिसका उसी तिथि को जवाब दिया गया था। अपने

जवाब में, प्रतिवादी सं. 1 ने कहा कि उनका व्यापार नाम "हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क" वादी के व्यापार चिन्ह से अलग है और वे व्यापार चिन्ह "HINDUSTAN" का उपयोग नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी सं. 1 ने वादी को उनके व्यापार चिन्ह आवेदन संख्या 5178652 के बारे में सूचित किया, जो वर्ग 38 में चिन्ह " " के लिए है, जिसे 19 अक्टूबर, 2021 को प्रस्तावित-उपयोग के आधार पर दायर किया गया था। इस आवेदन पर व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री द्वारा आपत्ति जताई गई है। जबकि आवेदन में कहा गया है कि चिन्ह का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, प्रतिवादी सं. 1 का फेसबुक पेज 2021 में " " का उपयोग दर्शाता है।

8. प्रतिवादी सं.1 द्वारा अपना गए चिन्हों का तरीका और शैली वस्तुतः वादी

" और " " के समान हैं। आक्षेपित चिह्नों, आक्षेपित व्यापार चिन्ह " " वेबसाइट और प्रतिवादी सं. 1 के व्यापार नाम का उपयोग जनता को धोखा देने और वादी के साथ संबंध को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है, जो वादी के पंजीकृत चिह्नों का उल्लंघन और उसे पारण करने के समान है।

वाद की कार्यवाही

9. 27 सितंबर, 2023 को समन जारी करने के चरण में, न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 को "HINDUSTAN" चिन्ह के साथ-साथ लोगो "HINDUSTAN NEWS NETWORK" सहित किसी अन्य नाम का उपयोग करने से रोकने के लिए एक अंतरिम व्यादेश पारित किया, जो वादी के नाम/चिह्न "हिंदुस्तान" के समान या समान है। विशेष रूप से, प्रतिवादी सं. 1 को लोगो का उपयोग करने से रोक दिया गया था।

10. प्रतिवादी सं. 1 को 09 अक्टूबर, 2023 को समन भेजा गया था, लेकिन वे निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही में शामिल होने या लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहे। इसके कारण 15 मार्च, 2024 को उन्हें समन दर्ज करने का अधिकार समाप्त हो गया। आज भी उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ। तदनुसार, प्रतिवादी सं. 1 पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

11. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता सूचित करते हैं कि उक्त प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय द्वारा 27 सितंबर, 2023 को जारी निर्देशों का अनुपालन किया है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

12. न्यायालय ने उपरोक्त दलीलों पर विचार किया है। प्रतिवादी सं. 1 के चिह्नों के साथ वादी के चिह्नों की तुलना इस प्रकार है:

वादी के चिन्ह/वेबसाइट	*आक्षेपित चिन्ह/वेबसाइट*
हिन्दुस्तान	हिन्दुस्तान NEWS NETWORK खबरें दबाई नहीं, दिखाई जाएंगी हिन्दुस्तान NEWS NETWORK
www.hindustantimes.in www.livehindustan.com www.hindustan.in	www.hindustannewsnetwork.in

13. दोनों पक्षकारों के व्यवसाय संचालन का क्षेत्र समान है, अर्थात ऑनलाइन माध्यम से समाचारों का प्रकाशन और प्रसार। आक्षेपित चिह्नों के अवलोकन से पता चलता है कि इनमें "हिन्दुस्तान" शब्द प्रमुख है, जिसे उपयोगकर्ताओं द्वारा वादी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के स्रोत की पहचान करने के लिए याद किया जा सकता है। यह शब्द वादी के पंजीकृत चिह्न हिन्दुस्तान के समान लिपि और शैली में लिखा गया है, जो उपभोक्ता द्वारा वादी के साथ आक्षेपित चिह्नों को जोड़ने की संभावना को बढ़ाता है। इस प्रकार, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आक्षेपित चिह्न दृश्यात्मक, ध्वन्यात्मक और भ्रामक रूप से

वादी के व्यापार चिन्ह के समान हैं। अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के माध्यम से, वादी ने प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आरोपित चिह्नों के प्रथम प्रदर्शित उपयोग से पहले "HINDUSTAN" और "हिन्दुस्तान" चिन्हों के अपने निरंतर उपयोग को पर्याप्त रूप से स्थापित कर दिया है। इसके अलावा, आक्षेपित वेबसाइट और प्रतिवादी सं 1 का व्यापार नाम पूरी तरह से वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह "HINDUSTAN" को अपने में समाहित कर लेता है, जो उनके डोमेन नाम का एक अभिन्न अंग भी है। जिन सेवाओं के लिए इनका उपयोग किया जाता है, उनमें चिह्न और पहचान में इन समानताओं को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं 1 ने वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह का उल्लंघन किया है।

14. जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी सं. 1 ने कार्यवाही की पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद वाद लड़ने से परहेज किया है। इन परिस्थितियों में, वर्तमान वाद को वाणिज्यिक वादों पर लागू सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XIII-ए सह पठित आदेश VIII नियम 10 और दिल्ली उच्च न्यायालय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रभाग नियम, 2022 के नियम 27 के अनुसार वादी के पक्ष में निर्णय दिया जा सकता है।

<u>राहत</u>

15. तदनुसार, वाद को वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध वाद के पैराग्राफ सं. 86 (क) से (घ) के अनुसार आदेशित किया जाता है। प्रतिवादी सं.

2 से 4 के विरुद्ध प्रार्थनाओं के संबंध में, जैसा कि पैराग्राफ सं. 86 (च), (ज) और (झ) में मांगा गया है, उन्हें इस न्यायालय द्वारा 27 सितंबर, 2023 को जारी निर्देशों के तहत पहले ही पूरा कर लिया गया है।

16. प्रतिवादी सं. 2 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित डोमेन नाम "www.hindustannewsnetwork.in" को वादी के पक्ष में हस्तांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार, यह आदेश दिया जाता है, बशर्ते वादी हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को निष्पादित करता है।

17. वादीगण के अधिवक्ता, निर्देशों पर, शिकायत के पैराग्राफ संख्या 86 (ञ) से (ठ) में मांगे गए खातों, क्षति और लागतों के प्रतिपूर्ति की राहत के लिए दबाव नहीं डालते हैं।

18. वादी को जानकारी के लिए व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समक्ष इस निर्णय और डिक्री की एक प्रति दर्ज करने की अनुमति है।

19. डिक्री पत्र तैयार किया जाए।

20. वाद और लंबित आवेदनों का निपटान किया जाता है।

संजीव नरूला, जेमार्च 21,

2024/*डी.नेगी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*